न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रमेश कुमार पुत्र भलाराम जाति कलबी निवासी आखराड तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. चन्दनगिरी पुत्र मालगर 2. हरिगर पुत्र मालगर जातियान गोस्वामी निवासीगण फतापूरा तहसील रानीवाडा 3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा आखराड में आयी हुयी है, जिसके खसरा संख्या 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर है उनके पडौस में खसरा संख्या 708 रकबा 1.53 हैक्टर है उनके पडौस में खसरा संख्या 708 रकबा 1.53 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सामलाती खातेदारी आराजी आई हुई है। प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के कार्यालय में पैमाईश हेतु आवेदन पत्र पेश किया। श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 42 दिनांक 25.4.2022 की पालना में मौजा आखराड के खसरा नबंर 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर की आराजी की पैमाईश हेतु हल्का पटवारी मौके पर पहुचे। खसरा संख्या 1119/709 का सीमाकंन खसरा संख्या 5 व 10 को मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जी.पी.एस. व जरीब चलाकर सीमांकन किया गया, लेकिन पडौसी खातेदार खसरा संख्या 708 रकबा 1.53 के खातेदार हरिगर, चन्दनगिरी पिसरान मालगर ने सीमाकंन में बताए गए निशानात को मानने से इन्कार कर दिया, इस प्रकार सीमा विवाद बना हुआ है।

   प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा काश्त ही एकमात्र सहारा है, सीमा विवाद के चलते काश्त करना मुश्किल हो गया है। पडौसी खातेदार माठ के विवाद को लेकर रोजाना मरने–मारने पर उतारू है, माठ पर रोजाना दखलन्दाजी की प्रवृत्ति बढ गई है, पडौसी खातेदार कार्यवाही हो चाहे कर लो कि धमकी भी दे रहा है। पडौसी खातेदार बाहुबली एवं राजनीतिक पहुंच वाला है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा आखराड के खसरा संख्या 1119/709 रकबा 0.48 के सीमा विवाद के निपटारे के लिए कमेठी गठित कर [illegible] के साथ करवाने का आदेश न्यायहित में फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी मौजा आखराड के नवीन खसरा नबंर 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर का सृजित उक्त आराजी के मुल खसरा नबंर 709 रकबा 1.41 हैक्टर में से किया गया है। उक्त नवीन खसरा नबंर 709 व 710 का सृजन मौजा आखराड के पुराने खसरा नबंर 198 रकबा 15 बीधा 18 बिस्वा से किया गया है तथा उक्त दोनों खसरा नबंरान का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंरान के रकबे माफिक अर्थात 15 बीधा 18 बिस्वा यानि 2.54 हैक्टर दर्ज नही कर गलत एवं अवैध रूप से द्वितीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान रकबा 2.60 हैक्टर दर्ज कर करीब 0.06 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी के पुराने खसरा नबंर 197 रकबा 9 बीधा 18 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 708 कर रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 197 के रकबे माफिक अर्थात 9 बीधा 18 बिस्वा अर्थात 1.58 हैक्टर दर्ज नहीं कर 1.53 हैक्टर गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त आराजी का करीब 0.05 हैक्टर रकबा गलत एवं अवैध रूप से प्रार्थी के पुर्वाधिकारीयों की खातेदारी में दर्ज कर दिया। ऐसा करने का सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को कोई अधिकार हासिल नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी आराजी का रकबा पुराने खसरा नबंर के रकबे माफिक धोषित करवाने एवं इसी माफिक रेकर्ड दुरूस्त करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक दावा श्रीमानजी सहायक कलेक्टर महोदय रानीवाडा की अदालत में पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है तथा उक्त वाद के विचारण के दौरान प्रकरण हाजा की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी की पैमाईश भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पीठ पिछे करवाई है एवं प्रकरण हाजा के नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती एवं धोषणा का दावा द्वितीय सेटलमेन्ट की अवैध कार्यवाही की जानकारी होने पर पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने पुर्वाधिकारियों के समय से काबिज काश्त है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की आराजी के बीच वर्षो पुरानी माठ कायम है।

द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी के पुर्वाधिकारीयों की आराजी पुराने खसरा नबंर 197 व 198 की आराजी से सृजित नवीन खसरा नबंरान के रकबे में गलत हैराफैरी करने से सीमा का विवाद उत्पन्न हुआ है। इसलिये प्रार्थी अपनी आराजी के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाये बिना सीमाकंन करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी पुराने खसरा नबंर 197 का करीब 0.05 हैक्टर रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नबंर 1119/709 की आराजी में गलत रूप से द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के रेकर्ड को दुरूस्त करवाये बिना प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाईश करवाने व सीमांकन करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश [illegible]नजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के मौजा आखराड में खसरा नबंर 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर की भुमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह सही है कि प्रार्थी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश हेतु सक्षम स्तर से आदेश जारी कर हल्का पटवारी से पैमाईश हेतु मौका निरीक्षण करवाया गया हल्का पटवारी ने सीमा विवाद बता कर खेत का सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन पडौसी खातेदार व अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान स्वीकार नही कर विवाद की स्थिति उत्पन्न की पटवारी मौका फर्द संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी की मौका फर्द व पत्रावली में मौजुद साक्ष्य दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड के तहत खसरा नबंर 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर की पत्थरगढी की जाती है। तो राजहीत प्रभावित नहीं होता है एवं भुमिधारी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अन्य अन्य वाद लाकर उक्त प्रकरण को लंबित करना चाहते है। वाद को निस्तारण में लम्बा समय लगने से उक्त विवाद का समाधान नही होगा तथा विवाद बढेगा। अतः श्रीमानजी सीमा विवाद के निस्तारण हेतु एक कमेटी गठित कर सीमाकंन पुलिस इमदाद के साथ करवाने का न्यायहित में आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब के कथनों को बहस में दोहराया गया।

6. हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली–भांती अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी मौजा आखराड के खसरा नम्बर 1119/709 व 708 के मध्य माठ के विवाद का समाधान हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से हेतु सीमांकन करवाया गया। लेकिन पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सीमाकंन में बताए निशान को मानने से इन्कार किया व विवाद की स्थिति होने पर सीमाकंन स्थिगित किया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब व बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता मौजा तावीदर में अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी के पूराने खसरा नम्बर 197 का करीब 0.05 हेक्टेयर रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1119/708 की आराजी में गलत रूप से द्वितीय सेटलमेंट के दौरान दर्ज किया जाना बताया। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 पृथक से वाद में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। तथा प्रार्थी वर्तमान में मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा आखराड में खसरा नम्बर 1119/709 व 708 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद आखराड़ पटवार हल्का आखराड के खसरा नम्बर 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 708 रकबा 1.53 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested

टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested